

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 164372

[27]

किसी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण या भार विक्रीत भूमि भूमिधरी पर पाया जायेगा और द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये चुकता करना पड़ जायेगा या विक्रय पत्र मिलकियत में कमी पाये जाने के कारण किसी



रुल हाउस लखनऊ

